| प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख<br>Date of application for the copy | स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या तैयार करने के लिए<br>Date fixed for the requisite number of stamps and folios | स्टाम्प और फोलियो तैयार<br>requisite stamp & folios | तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी<br>Date on which the copy was ready for delivery | आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख<br>Date of mading over the copy to the applicant |
|---|---|---|---|---|
| 13-4-12 | 13-4-12 | 13-4-12 | 19-4-12 | 19-4-12 |

FOLIO NOT AVAILABLE

रच्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या ..... 2943 .....

खाता नं० ..... 858 ..... वार्ड सं० ..... 9 ..... जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव / थाना — मोहल्ला / पट्टी — परगना — तौजी सं० — थाना सं०

स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसकी खेवट संख्या यदि हो

| खतियान की क्रम सं० | अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास | खेत: खेसरा संख्या | खेत: चौहदी | भूमि का स्वरूप | रकवा है० आर० सं० | अभ्युक्ति | गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस | बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस | (1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवस्था (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 858 | शिव प्रसाद चौधरी पिता नारायण चौधरी एक अंश को फूल वाली देवी पत्नि शिव प्रसाद चौधरी एक अंश | 2943 a<br>b | | मकान पक्का (खपड़ा) पोरा<br>बाड़ी | 0.00.70<br>0.03.20<br>0.03.90 | | 0 कविया लगान<br>0 हीदवारी | | नोट<br>सी०एन०टी० एक्ट धारा 85 उपधारा नं० 190 सन् 1948-49 के अधिशासन द्वारा क्षेत्र (सम्पदस कर्ण) घोषित (लगान क्षेत्र) निर्धारित लगान सन् 19 से लागू होगा। राजस्व पदाधिकारी |

सच्ची प्रतिलिपि
अभिलेख पाल
सिंहभूम बन्दो०
जमशेदपुर

प्रतिलिपिक
19-4-12

तुलना किया
19-4-12

Certified to be True Copy
19/4/12
Head Clerk to the Settlement office
is authorised U/s 76 of the
Indian Evidence Act. 1872

यह स्वत्व अभिलेख बंदोबस्त पदाधिकारी अधिनियम 1948 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा दस्तावेज हस्तांतरण अधिनियम 1920 की धारा 10 के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 10 AUG 1979 को किया गया।
अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 18 AUG 1
को हस्तांतरित हुआ।
बन्दोबस्त पदाधिकारी
सिंहभूम